निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 19 / 2023 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये पूजा शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री सब्बर पुत्र श्री नसीम मरहूम, निवासी बी–821, संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 24.600 किलोग्राम 2 गैस भट्टी मय पाईप एवं एक रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री फारूख अली अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से वाणिज्यिक दुरूपयोग की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 22.02.2023 को मो. सारीक नाश्ता सेन्टर, ताज होटल के पास, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर की जांच की गई। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. भट्टी से जुड़ा पाया गया जिस पर नाश्ता बनाने का कार्य किया जा रहा था। जिसको मौके पर जब्त किया एवं परिसर की जांच करने 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. के पाये गये। इस प्रकार कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 01.03.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री फारूक अली ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मो. सारीक नाश्ता सेन्टर, ताज होटल के पास, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर की जांच की गई। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. भट्टी से जुड़ा पाया गया जिस पर नाश्ता बनाने का कार्य किया जा रहा था। जिसको मौके पर जब्त किया एवं परिसर की जांच करने 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. के पाये गये। इस प्रकार कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. के पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा

जिला कलक्टर
जयपुर

था। मौके पर मैसर्स मोहन गैस एजेन्सी जयपुर के प्रतिनिधि राजेन्द्र मीणा को बुलाकर घरेलू गैस सिलेण्डरर्स का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर्स में कुल 24.600 किलोग्राम एल. पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत ना तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और ना ही अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. सुयोग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अपने कार्यालय में बैठकर बिना किसी विडियोग्राफी व फोटोग्राफ पेश कर किये गये है जो अवैधानिक एवं चलने योग्य नहीं है। उक्त घरेलू सिलेण्डर मेरे स्वयं के है। गैस खत्म होने पर ही शिव गैस कम्पनी द्वारा मेरी दुकान पर ही दिये जाते है। दुकान पर जो भी कार्य किया जाता है उसमें व्यवसायिक सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज फरमाया जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द किये जावे।
6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का भंलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गयें। दौराने जांच मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर्स बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 24.600 किलोग्राम पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से ग्राहको के लिये नाश्ता बनाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय 24.600 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 01.03.2023 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय प्रति हस्व कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
11. निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner